मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल का चयन करने के लिए निम्नानुसार चयन समिति का गठन करता है :—

(क)	न्यायमूर्ति श्री रूपेश चन्द्र वार्ष्णेय, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त न्यायाधीश.	—	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	—	सदस्य
(ग)	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	—	सदस्य

नीरज मण्डलोई, अपर मुख्य सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2025

क्र. 06-2461411-2024-ए-सोलह.—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 9 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (9) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप अधिसूचना पर विचार किया जाएगा.

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में, किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उससे पूर्व में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 9 में, उपधारा (2) में,—

(क) शब्द "तीस रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" स्थापित किये जाएं;

(ख) परन्तुक में, शब्द "एक हजार पाँच सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "दो हजार पाँच सौ रुपये" स्थापित किये जाएं.

No. 06-2461411-2024-A-XVI.—The followng draft of notification which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 9 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983), is hereby published as required by sub-section (9) of Section 9 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft notification on or before the expiry of the period specified above, shall be considered by the State Govenrment.

DRAFT OF AMENDMENT

In Section 9 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983), in sub-section (2),—

(i) for the words "thirty rupees", the words "fifty rupees" shall be substituted;

(ii) In the provision for the words "one thousand five hundred rupees" the words, "two thousand five hundred rupees" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2025

क्र. 74-2455754-2024-ए-सोलह.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा (2) सह-पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (2) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :—

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	श्री प्रसन्न सिंह बहरावत	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देवास.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, अपर सचिव.